



प्रेस नोट

थाना - बाबूगढ

दिनांक 30-11-2024

थाना बाबूगढ पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए तमंचे के साथ सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो/फोटो से सम्बन्धित अभियुक्त को चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से अवैध असलहा बरामद ।

कार्यवाही:-

सोशल मीडिया पर एक युवक का तमंचे के साथ वीडियो वायरल हुआ, जिसका थाना बाबूगढ पुलिस द्वारा संज्ञान लेकर वीडियो/ फोटो में दिखाई दे रहे युवक की पहचान कराई तो उसकी पहचान लविश पुत्र अशोक निवासी ग्राम पीरनगर थाना सिम्भावली जनपद हापुड हाल निवासी रेलवे क्रासिंग शकरपुर रोड थाना बाबूगढ जनपद हापुड के रूप में हुई ।



थाना बाबूगढ पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त युवक को ग्राम शकरपुर को जाने वाले रास्ते पर बने गेट के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से अवैध असलहा बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बाबूगढ पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

लविश पुत्र अशोक निवासी ग्राम पीरनगर थाना सिम्भावली जनपद हापुड, हाल निवासी रेलवे क्रासिंग शकरपुर रोड थाना बाबूगढ जनपद हापुड ।

बरामदगी का विवरण:-

एक अवैध तमंचा मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 349/24 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना बाबूगढ जनपद हापुड ।

2- मु0अ0सं0 284/24 धारा 115(2), 131, 191(2), 191(3), 333, 351(2), 352 बीएनएस थाना बाबूगढ जनपद हापुड ।

3-मु0अ0सं0 174/23 धारा 147, 323, 504, 506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना बाबूगढ जनपद हापुड ।

2. का0 875 अंकित कुमार थाना बाबूगढ जनपद हापुड ।

3. का0 795 सतीश कुमार थाना बाबूगढ जनपद हापुड ।

4. का0 647 सुधीर कुमार थाना बाबूगढ जनपद हापुड ।